



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 4 सितम्बर, 2002

भाद्रपद 13, 1924 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1629/सत्रह-वि-1-1(क) 16-2002

लखनऊ, 4 सितम्बर, 2002

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन विधेयक, 2002 पर दिनांक 3 सितम्बर, 2002 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2002 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन अधिनियम, 2002

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2002)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

कतिपय परिस्थितियों में कोचिंग पर प्रतिबन्ध लगाने और कोचिंग प्रदान करने वाले या कोचिंग केन्द्र चलाने वाले, उसका प्रबंध या अनुरक्षण करने वाले व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन अधिनियम, 2002 कहा जाएगा।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 27 जून, 2002 को प्रवृत्त समझा जायगा।

परिभाषाएं

2-जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,—

(क) “सम्बद्ध महाविद्यालय” का तात्पर्य किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी महाविद्यालय से है;

(ख) “सहयुक्त महाविद्यालय” का तात्पर्य किसी विश्वविद्यालय से सहयुक्त किसी महाविद्यालय से है;

(ग) “परिषद्” का तात्पर्य—

(एक) इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अधीन गठित माध्यमिक शिक्षा परिषद् से है;

(दो) उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 के अधीन संघटित उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् से है; या

(तीन) उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, 1962 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् से है;

(घ) “कोचिंग” का तात्पर्य विद्या की किसी शाखा में तीन या उससे अधिक व्यक्तियों को प्रदान किये जाने वाले अध्यापन, शिक्षण या मार्गदर्शन से है किन्तु इसके अन्तर्गत परामर्श देना नहीं है;

(ङ) “कोचिंग केन्द्र” का तात्पर्य कोचिंग के प्रयोजनों के लिए अनुरक्षित, आरक्षित या व्यवस्थित किसी स्थान से है, किन्तु उसके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं हैं :—

(एक) कोई संस्था;

(दो) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन मान्यता प्राप्त, पोषित या स्थापित कोई अन्य विद्यालय या महाविद्यालय;

(तीन) ललित कला, सूचना प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर विज्ञान, टंकण, आशुलिपि या उसी प्रकृति की किसी अन्य तकनीकी शिक्षा में शिक्षण प्रदान कर रहा कोई संस्थान या अकादमी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय;

(च) “सक्षम अधिकारी” का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र के लिए या ऐसी संस्था या कोचिंग केन्द्र के सम्बन्ध में, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय, इस अधिनियम के अधीन सक्षम अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने और कृत्यों का सम्पादन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी से है ;

(छ) “घटक महाविद्यालय” का तात्पर्य किसी विश्वविद्यालय द्वारा पोषित महाविद्यालय से है ;

(ज) “परामर्श देना” का तात्पर्य किसी अध्यापक या कर्मचारी द्वारा विद्या के किसी क्षेत्र में यदा-कदा शिक्षण या मार्गदर्शन प्रदान करने से है, किन्तु उसके अन्तर्गत किसी पारिश्रमिक के बदले में नियमित आधार पर शिक्षण या मार्गदर्शन प्रदान करना नहीं है ;

(झ) “कर्मचारी” का तात्पर्य किसी संस्था के किसी कर्मचारी से है;

(ञ) “संस्था” का तात्पर्य किसी विश्वविद्यालय, सम्बद्ध महाविद्यालय, सहयुक्त महाविद्यालय, घटक महाविद्यालय या किसी परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त या नियंत्रित या उससे सम्बद्ध या राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या मान्यता प्राप्त किसी अन्य शैक्षिक संस्था से है ;

(ट) किसी संस्था के संबंध में “अध्यापक” का तात्पर्य विद्या की किसी शाखा में शिक्षण प्रदान करने, मार्गदर्शन करने या शोध कार्य के संचालन के लिए संस्था द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति से है और उसके अन्तर्गत संस्था के, यथास्थिति, प्राचार्य, निदेशक या प्रधानाध्यापक भी हैं;

(ठ) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी विश्वविद्यालय से है।

3-(1) जहां कोई ऐसा व्यक्ति, जो अध्यापक या कर्मचारी नहीं है, कोचिंग प्रदान करने या किसी कोचिंग केन्द्र को स्थापित करने, चलाने, उसका प्रबंध या अनुरक्षण करने का इच्छुक है, वहाँ वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए रजिस्ट्रीकरण हेतु सक्षम अधिकारी को आवेदन कर सकेगा :

कोचिंग का
रजिस्ट्रीकरण

प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व से कोचिंग प्रदान करने वाला या कोई कोचिंग केन्द्र चलाने, उसका प्रबंध या अनुरक्षण करने वाला कोई व्यक्ति ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से तीन मास के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन ऐसे प्रपत्र में होगा और उसमें ऐसे ब्योरे दिए जायंगे और उसके साथ ऐसी फीस जमा की जायगी जिसका भुगतान ऐसी रीति से किया जायगा, जो विहित किये जाएं।

(3) सक्षम अधिकारी अपना यह समाधान करने के पश्चात् कि रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन उपधारा (2) की अपेक्षाओं के अनुरूप है और रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति ने धारा 4 में विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी कर ली हैं, उक्त प्रयोजनों के लिए विहित रजिस्टर में उसे दर्ज करेगा और उसे विहित प्रपत्र में एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन रजिस्ट्रीकरण करने से इंकार करने का कोई आदेश तब तक नहीं किया जायगा जब तक कि आवेदन करने वाले व्यक्ति को कारण बताने का अवसर न दे दिया गया हो।

(4) उपधारा (3) के अधीन जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र तब तक विधिमाम्य रहेगा जब तक कि इस अधिनियम के अधीन उसे रद्द या निलंबित न कर दिया जाय।

4-धारा 3 के अधीन किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि वह लिखित रूप में यह वचन नहीं दे देता है कि वह कोचिंग के लिए किसी संस्था के किसी अध्यापक या कर्मचारी को न लगायेगा, न नियोजित करेगा।

रजिस्ट्रीकरण के
लिए शर्तें

5-(1) सक्षम अधिकारी, किसी भी समय, पर्याप्त कारणों से, धारा 3 के अधीन दिए गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र को रद्द या निलंबित कर सकेगा :

रजिस्ट्रीकरण का
निरस्तीकरण और
निलम्बन

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं किया जायगा जब तक कि,-

(क) संबंधित व्यक्ति को कारण बताने का अवसर न दे दिया गया हो; और

(ख) सक्षम अधिकारी को यह प्रतीत न हो कि संबंधित व्यक्ति ने धारा 4 में विनिर्दिष्ट शर्त का उल्लंघन किया है।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण का कोई प्रमाण-पत्र निलंबित या रद्द किया जाय, वहां कोई व्यक्ति किसी प्रतिकर या किसी रजिस्ट्रीकरण फीस को वापस पाने का हकदार नहीं होगा।

6-धारा 5 के अधीन किए गये किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर राज्य सरकार को उस आदेश के विरुद्ध अपील कर सकेगा जो अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसा आदेश कर सकेगी जैसा वह उचित समझे।

अपील

7-(1) कोई व्यक्ति, जो अध्यापक या कर्मचारी नहीं है, धारा 4 के अधीन जारी विधिमाम्य रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के बिना,-

कोचिंग पर
प्रतिबंध

(क) पारिश्रमिक पर या बिना पारिश्रमिक के कोचिंग प्रदान नहीं करेगा;

(ख) कोई कोचिंग केन्द्र न स्थापित करेगा, न चलायेगा, न उसका प्रबंध या अनुरक्षण करेगा या न स्थापित करायेगा, न चलवायेगा, न उसका प्रबंध या अनुरक्षण करायेगा।

(2) कोई अध्यापक या कर्मचारी,—

(क) उस संस्था से भिन्न जिसमें वह तत्समय नियोजित है, किसी कोचिंग केन्द्र या किसी अन्य स्थान पर कोचिंग प्रदान नहीं करेगा;

(ख) कोई कोचिंग केन्द्र न स्थापित करेगा, न चलायेगा, न उसका प्रबंध या अनुरक्षण करेगा या न स्थापित करायेगा, न चलवायेगा, न उसका प्रबंध या अनुरक्षण करायेगा; या

(ग) यथास्थिति, अध्यापक या कर्मचारी, के रूप में अपने वैध पारिश्रमिक से भिन्न कोई पारिश्रमिक या फीस स्वीकार नहीं करेगा।

8—(1) सक्षम अधिकारी, कोचिंग केन्द्र के किसी अभिलेख का निरीक्षण कर सकेगा।

(2) कोचिंग केन्द्र का स्वामी या प्रभारी व्यक्ति सक्षम अधिकारी के समक्ष ऐसे अभिलेख प्रस्तुत करेगा जिसकी सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान अपेक्षा की जाय।

(3) इस धारा के अधीन निरीक्षण के पश्चात् सक्षम अधिकारी एक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें निरीक्षण के दौरान उसके द्वारा पायी गयी त्रुटियों या अनियमितताओं को, यदि कोई हो, दर्शाया जायगा और उसकी एक प्रति कोचिंग केन्द्र के स्वामी या प्रभारी व्यक्ति को और एक प्रति राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर, कोचिंग केन्द्र का स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, इस प्रयोजन के लिये सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर ऐसी रिपोर्ट में उल्लिखित त्रुटियों या अनियमितताओं को दूर करेगा।

9—(1) जो कोई, धारा 7 की उपधारा (1) के उपबन्धों का जानबूझ कर उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने के लिए दुष्प्रेरित करेगा, वह जुर्माने से, जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायगा।

(2) जो कोई धारा 7 की उपधारा (2) के उपबन्धों का जानबूझ कर उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने के लिए दुष्प्रेरित करेगा, वह जुर्माने से, जो पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायगा।

(3) जो कोई धारा 8 की उपधारा (4) के उपबन्धों का जानबूझ कर उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने के लिए दुष्प्रेरित करेगा, वह जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायगा।

(4) कोई न्यायालय इस धारा के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान सक्षम अधिकारी के या ऐसे अन्य अधिकारी के जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत करे, लिखित परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं।

10—भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत सक्षम अधिकारी को लोक सेवक समझा जायगा।

11—इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियम या दिये गये आदेश के अनुसरण में सदभाव से किये गये या किये जाने के लिये आशयित किसी बात के लिए सक्षम अधिकारी, राज्य सरकार या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोग या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायगी।

12—(1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी है तो वह कम्पनी और अपराध किये जाने के समय उसके कार्य संचालन के लिये कम्पनी का प्रभारी और उसके प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और उसे दण्डित किया जा सकेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की किसी बात से ऐसा कोई व्यक्ति दण्डनीय नहीं होगा यदि वह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने उस अपराध को रोकने के लिये सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुये भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि अपराध उस कम्पनी के किसी निदेशक, सचिव, प्रबंधक या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुमति से किया गया है या उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ है तो कम्पनी का ऐसा निदेशक, सचिव प्रबंधक या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायगी और उसे दण्डित किया जायगा।

निरीक्षण

शास्ति

लोक सेवक सक्षम अधिकारी होंगे

सदभावना से की गई कार्यवाही का संरक्षण

कम्पनियों द्वारा अपराध

स्पष्टीकरण :- इस धारा के प्रयोजनों के लिये,-

- (क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और उसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का संगम भी है; और
(ख) किसी फर्म के संबंध में "निदेशक" का तात्पर्य फर्म के भागीदार से है।

13-किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी इस अधिनियम के उपबंध प्रभावी होंगे। अध्यारोही प्रभाव

14-(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो कठिनाइयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों। कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश नहीं किया जायगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के संबंध में लागू होते हैं।

15-राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी। नियम बनाने की शक्ति

उत्तर प्रदेश
अध्यादेश
संख्या 8
सन् 2002

16-(1) उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन अध्यादेश, 2002 एतद्वारा निरसित किया जाता है। निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
ए०बी० शुक्ला,
प्रमुख सचिव।

उद्देश्य और कारण

राज्य सरकार को शिकायतें प्राप्त हुईं कि विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और अन्य सहायता प्राप्त संस्थाओं के अध्यापकगण कोचिंग प्रदान कर रहे थे या कोचिंग केन्द्र चला रहे थे, उनका प्रबन्ध या अनुरक्षण कर रहे थे और अपने-अपने विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों या संस्थाओं में शिक्षण प्रदान करने में रुचि नहीं ले रहे थे। अतएव यह विनिश्चय किया गया कि कतिपय परिस्थितियों में कोचिंग पर प्रतिबन्ध लगाने और कोचिंग प्रदान करने वाले या कोचिंग केन्द्र चलाने वाले, उसका प्रबन्ध या अनुरक्षण करने वाले व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण की व्यवस्था करने के लिये विधि बनायी जाय।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिये तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतएव राज्यपाल द्वारा दिनांक 27 जून, 2002 को उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन अध्यादेश, 2002 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 8 सन् 2002) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

No. 1629 (2)/XVII-V-1-1(KA)-16-2002

Dated Lucknow, September 4, 2002

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Coaching Viniyaman Adhiniyam, 2002 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 5 of 2002) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 3, 2002.

THE UTTAR PRADESH REGULATION OF COACHING ACT, 2002

(U.P. ACT NO. 5 OF 2002)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

to provide for restriction on coaching under certain circumstances, and for the registration of the person imparting coaching, or running, managing or maintaining coaching centre, and for matters connected therewith or incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-third Year of the Republic of India as follows :-

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Regulation of Coaching Act, 2002.

(2) It shall be deemed to have come into force on June 27, 2002.

Definitions

2. In this Act unless the context otherwise requires,-

(a) 'affiliated college' means a college affiliated to a University ;

(b) 'associated college' means a college associated with a University ;

(c) 'Board' means —

(i) the Board of High School and Intermediate Education constituted, under the Intermediate Education Act, 1921 ;

(ii) the Uttar Pradesh Board of Basic Education constituted under the Uttar Pradesh Basic Education Act, 1972 ; or

(iii) the Uttar Pradesh Pravidhik Shiksha Parishad established under the Uttar Pradesh Pravidhik Shiksha Adhiniyam, 1962 ;

(d) 'coaching' means tuition, instruction or guidance in any branch of learning imparted to three or more persons but does not include a counselling ;

(e) 'coaching centre' means a place maintained reserved or arranged for the purposes of coaching but does not include, —

(i) an institution ;

(ii) any other school or college recognised, maintained or established by or under any law for the time being in force ;

(iii) an institute or academy, by whatever name called, providing instruction in fine arts, information technology, computer science, typewriting, stenography or any other technical education of like nature ;

(f) 'Competent Officer' means an officer authorised by the State Government by notification to exercise the powers and perform the functions of the competent officer under this Act for such area or in relation to such institution or coaching centre as may be specified in the notification ;

(g) 'constituent college' means a college maintained by a University ;

(h) 'counselling' means an occasional instruction or guidance in any branch of learning by a teacher or employee but does not include instruction or guidance on regular basis in lieu of a remuneration ;

(i) 'employee' means an employee of an institution ;

(j) 'institution' means a University, an affiliated college, an associated college, a constituent college or any other educational institution recognised or controlled by, or affiliated to, a Board, or controlled or recognised by the State Government ;

(k) 'teacher', in relation to an institution, means a person employed by the institution for imparting instruction or guiding or conducting research in any branch of learning and includes the Principal, the Director or the Head Master, as the case may be, of the institution ;

(l) 'University' means a University established by or under any Uttar Pradesh Act.

3. (1) Where a person, not being a teacher or employee, desires to impart coaching or to establish, run, manage or maintain a coaching centre, he may apply to the Competent Officer for registration for the purpose of this Act :

Registration of Coaching

Provided that any person imparting coaching, or running, managing or maintaining any coaching centre from before the commencement of this Act may apply for registration within three months from the date of such commencement.

(2) The application for registration under sub-section (1) shall be in such form and shall contain such particulars and shall be accompanied by a deposit of such fee, which shall be paid in such manner, as may be prescribed.

(3) The Competent Officer shall, after satisfying himself that the application for registration is in conformity with the requirements of sub-section (2) and the person applying for the registration has fulfilled the conditions specified in section 4, register him in the register prescribed for the purpose and issue him a certificate of registration in the prescribed form :

Provided that no order refusing the registration under this sub-section shall be passed except after giving to the person concerned an opportunity of showing cause.

(4) The certificate of registration issued under sub-section (3) shall be valid unless cancelled or suspended under this Act.

4. No person shall be registered under section 3 unless he undertakes in writing not to engage or employ any teacher or employee of an institution for the coaching.

Conditions for registration

5. (1) The Competent Officer may, at any time, for sufficient cause cancel or suspend a certificate or registration granted under section 3 :

Cancellation and suspension of registration

Provided that no order under this sub-section shall be passed,—

(a) except after giving to the person concerned an opportunity of showing cause ; and

(b) unless it appears to the Competent Officer that the person concerned has violated the condition specified in section 4.

(2) Where any certificate of registration is suspended or cancelled under sub-section (1), no person shall be entitled to any compensation or to refund of any registration fee.

6. Any person aggrieved by an order passed under section 5, may, within thirty days from the date of such order, prefer an appeal against the order to the State Government, which may, after giving an opportunity of hearing to the appellant, pass such orders as it thinks fit.

Appeal

7. (1) No person, not being a teacher or employee, shall,—

(a) impart coaching with or without remuneration ;

(b) establish, run, manage or maintain or cause to be established, run, managed or maintained any coaching centre;

unless he holds a valid certificate or registration issued under section 4.

Restrictions on coaching

(2) No teacher or employee shall,—

(a) impart coaching in a coaching centre or any other place, other than the institution in which he is for the time being employed ;

(b) establish, run, manage or maintain or cause to be established, run, managed or maintained any coaching centre; or

(c) accept any remuneration or fee, other than his legal remuneration as teacher or employee, as the case may be.

Inspection

8. (1) The Competent Officer may inspect any records of a coaching centre.

(2) The owner or the person incharge of a coaching centre shall produce before the Competent Officer such records as may be required by the Competent Officer during the inspection.

(3) The Competent Officer shall, after making the inspection under this section, prepare a report showing the defects or irregularities, if any, noticed by him during the inspection and forward a copy thereof to the owner or the person incharge of the coaching centre and the State Government.

(4) Upon receiving the report under sub-section (3), the owner or the person incharge of the coaching centre shall rectify the defects or irregularities mentioned in such report within the time fixed by the Competent Officer for the purpose.

Penalties

9. (1) Whoever wilfully contravenes, or abets the contravention of, the provisions of sub-section (1) of section 7 shall be punished with fine which may extend to one lakh rupees.

(2) Whoever wilfully contravenes, or abets the contravention of, the provisions of sub-section (2) of section 7 shall be punished with fine which may extend to fifty thousand rupees.

(3) Whoever wilfully contravenes, or abets the contravention of, the provisions of sub-section (4) of section 8 shall be punished with fine which may extend to ten thousand rupees.

(4) No court shall take cognizance of an offence punishable under this section except on a complaint in writing made by the Competent Officer or by such other officer as the State Government may, by notification, authorize in this behalf.

Competent Officer to be public servant

10. The Competent Officer shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.

Protection of action taken in good faith

11. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Competent Officer, the State Government or any other person for anything which is in good faith done or intended to be done, in pursuance of this Act or the rules or order made thereunder.

Offences by companies

12. (1) If the person committing an offence under this Act is a company, the company, as well as every person incharge of and responsible to the company for the conduct of its business at the time of the commission of the offence shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly :

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where any offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or that the commission of the offence is attributable to any neglect on the part of any director, secretary, manager or other officer of the company, such director, secretary, manager or other

officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation :— For the purpose of this section —

(a) "company" means any body corporate, and includes a firm or association of individuals; and

(b) "director" in relation to a firm, means a partner in the firm.

13. Notwithstanding anything to the contrary contained in any Uttar Pradesh Act, the provisions of this Act shall have effect. Over-riding effect

14. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by a notified order, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty. Power to remove difficulties

(2) No order under sub-section (1) shall be made after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.

(3) Every order made under sub-section (1) shall be laid as soon as may be, before both Houses of the State Legislature and the provisions of sub-section (1) of section 23-A of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 shall apply as they apply in respect of rules made by the State Government under any Uttar Pradesh Act.

15. The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act. Power to make rules

U.P.
Ordinance
no. 8 of
2002

16. (1) The Uttar Pradesh Regulation of Coaching Ordinance, 2002 is hereby repealed. Repeal and saving

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
A. B. SHUKLA
Pramukh Sachiv.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The State Government received complaints that the teachers of the Universities, Degree colleges and other aided institutions were imparting coaching or running, managing or maintaining coaching centres and were not taking interest in imparting instructions in their respective Universities, colleges or institutions. It was, therefore, decided to make a law to provide for restriction on coaching under certain circumstances and for registration of the person imparting coaching or running, managing or maintaining coaching centre.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Regulation of Coaching Ordinance, 2002 (U.P. Ordinance no. 8 of 2002) was promulgated by the Governor on June 27, 2002.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

पी०एस०यू०पी०-ए० पी० 543 राजपत्र (हि०)-(1265)-2002-597-(कम्प्यूटर/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए० पी० 150 सा० विधा०-(1266)-2002-850-(कम्प्यूटर/आफसेट)।